डिजिटल मीडिया आचार संहिता

सोशल मीडिया पर बढ़ते एआई के उपयोग के साथ नैतिक कोड बनाना जरूरी हो गया है। हाल ही में सरकार ने इससे जुड़े नियमों पर कानून बना दिया है। ये कानून लागू कर दिए गए हैं। इससे जड़े कुछ बिंदु -

- सरकार ने एआई से जुड़े नैतिक कोड के लिए इंफार्मेशन टेक्नॉलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) अमेंडमेंट रूल्स, 2026 जारी किए हैं।
- इस कानून में एआई से बनी इमेज को खासतौर पर लेबल करना होगा। इसकी जिम्मेदारी डिजिटल मंचों की होगी।
- यह उन एआई इमेज पर लागू नहीं होगा, जिन्हें असली के तौर पर दिखाने की कोशिश नहीं की गई है।
- संशोधन में सरकार ने कंटेंट की हटाने की समय सीमा घटाकर दो या तीन घंटे कर दिया है। ऐसे में प्लेटफार्म को एक प्रतिनिधि ऐसा रखाना होगा, जो टेकडाउन या कंटेंट हटाने पर विवेकपूर्ण निर्णय जल्दी ले सके। साथ ही उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ बैलेंस कर सके।

विभिन्न समाचार पत्रों पर आधारित। 13 फरवरी 2026